न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी।

CNR NO.–UPLP 1200 1740 2026

नरेन्द्र सिंह
बनाम
अज्ञात।

प्रकीर्ण वाद सं०–134/2026
अ०सं०–314/2025
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

दिनांकः 30.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मुकदमा हाजिर। वादी नरेन्द्र सिंह द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.07.2026 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी अब मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। पुलिस द्वारा लगायी गयी अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करना चाहता है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिस पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया था। वादी न्यायालय हाजिर है तथा उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.07.2026 प्रस्तुत कर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर मुकदमे की कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। ऐसी दशा में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी मुकदमा नरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट सं०–39/2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रजत प्रकाश सोन)
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी–खीरी